न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 75 / रा.भू.अधि. / 02 / 2018 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. ओमप्रकाश पुत्र नेनाराम जाति गुरू (गुरडा) निवासी रेवाडा आशीया तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर।	**बनाम**	1.तीरथराज पुत्र माघाराम 2.नरेश कुमार पुत्र माघाराम 3.सतीदेवी पत्नी माघाराम 4.खुशबू पुत्री माघाराम 5.दीपिका पुत्र माघाराम 6.पूजा पुत्र माघाराम 7.अनिता पुत्री माघाराम नाबालिग जरिये माता सतीदेवी 8.पीराराम पुत्र जवाहराराम 9.हवादेवी पत्नी जवाहराराम 10.झमुदेवी पत्नी बाबूराम 11.योगेश पुत्र बाबूराम नाबालिग जरिये माता झमुदेवी पत्नी बाबूराम 12.पुरूषोत्तम पुत्र बाबूराम नाबालिग जरिये माता झमुदेवी 13.हरीश पुत्र बाबूराम नाबालिग जरिये माता झमुदेवी 14.डूगराराम पुत्र जवाहराराम 15.रतनाराम पुत्र जवाहराराम 16.हिम्मताराम पुत्र जवाहराराम समस्त जाति मेघवाल निवासी सांगरानाडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर। 17.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व जिला कलक्टर बाड़मेर के प्रकरण संख्या 02 / 2016 उनवानी ओमप्रकाश बनाम माधाराम में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2018 के विरूद्व पेश।

उपस्थिति

1. वकील श्री. अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री पवन सिंहल एवं नरपत पूनड रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– **13.05.2019**

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट के दादा एवं पिता श्री जवाहराराम पुत्र भीखाराम को विवादित आराजी खसरा संख्या 3629 रकबा 20 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

आराजी स्थित ग्राम पाटोदी का सक्षम अधिकारी बालोतरा ने अपने आदेश दिनांक 04.09.1972 के द्वारा आवंटन करने का आदेश पारित किया। अपीलांट ने आवंटन आदेश दिनांक 04.06.1972 को निरस्त कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर के यहां एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत पेश किया। जिला कलक्टर बाड़मेर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.01.2018 को अस्वीकार करते हुये आवंटन को यथावत रखने का आदेश प्रदान किया। आवंटी भूमि आवंटन कराने का पात्र नही था और भूमिहीन नहीं था, किंतु उसने साजिश कर नियम विरूद्ध तरीके से कीमती भूमि को तथ्यों को छिपाकर तथा छल एवं कपटपूर्ण तरीके से आराजी का आवंटन करवा लिया। जो प्रारम्भ से ही गलत है और आवंटी का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा बल्कि मौके पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है और आवंटी के वारिसान अनियमित रूप से आराजी का बेचान कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पत्रावली में वर्णित तथ्य, कानूनी नजीरे एवं उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने आवंटन आदेश दिनांक 04.06.1972 को निरस्त कराने के लिए अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर के यहां एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत पेश किया। जिला कलक्टर बाड़मेर ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 31.01.2018 को अस्वीकार करते हुये आवंटन को यथावत रखने का आदेश प्रदान किया। आवंटी भूमि आवंटन कराने का पात्र नहीं था और भूमिहीन नहीं था, किंतु उसने साजिश कर नियम विरूद्ध तरीके से कीमती भूमि को तथ्यों को छिपाकर तथा छल एवं कपटपूर्ण तरीके से आराजी का आवंटन करवा लिया। जो प्रारम्भ से ही गलत है और आवंटी का विवादित आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा बल्कि मौके पर अपीलांट काबिज काश्त चला आ रहा है और आवंटी के वारिसान अनियमित रूप से आराजी का बैचान कर रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पत्रावली में वर्णित तथ्य, कानूनी नजीरे एवं उपलब्ध साक्ष्य का विवेचन नहीं कर सरसरी तोर पर निर्णय पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सद्धान्त के खिलाफ एवं विधि सम्मत नहीं है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे एवं अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता ने बहस करते हुए बताया कि आवंटन सलाहकार व आवंटन समिति परगना अधिकारी, बाड़मेर द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करने के पश्चात स्व. जवाहराराम को भूमिहीन मानते हुए विधि अनुरूप प्रक्रिया अनुसार आवंटन किया गया है। आवंटित भूमि पर आवंटी जवाहराराम का कब्जा काश्त था जवाहराराम के फौतगी के पश्चात उसके वारिशान का कब्जा काश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेंट के पक्ष में कपटपूर्ण अथवा मिथ्या आधार पर आवंटन नहीं हुआ है। रेस्पोडेंट को आवंटन पूर्ण रूप से विधि सम्मत है। जवाहराराम के फौतगी के पश्चात वादग्रस्त भूमि रेस्पोडेंट/अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के खातेदारी में दर्ज होने से अप्रार्थी/रेस्पोडेंट ने अपनी आवश्यकतानुसार अपने–अपने हिस्से की भूमि में से पंजीबद्ध बेचान किये है। पंजीबद्ध बेचान को सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है इसे राजस्व न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकता। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पूर्वाग्रह व दुराशय की भावना से ग्रसित होकर एक सुदीर्घ अवधि पश्चात आवेदन पत्र पेश किया है। आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। वकील रेस्पोडेंट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2006(1) Page 185
RBJ 2019 Page 77
RRT 2016-17(Supp.) Page 271
RRT 2016-17(Supp.) Page 473
RRD 2001 Page 126
RRT 2006(1) Page 424
RRT 2011(2) Page 1205

अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। मामले में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में एक निगरानी/एल आर/1552/2018/बाड़मेर ओमप्रकाश बनाम तीरथराज में जिला कलक्टर बाड़मेर के निर्णय 31.01.2018 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 26.02.2018 के के विरूद्ध पेश हुई, जिसका निर्णय दिनांक 20.03.2018 को होकर हस्तगत मामले को 02 माह में निर्णित करने के निर्देश प्रदान किये। प्रस्तुत अपील आवंटन के विरूद्ध राज्य सरकार की बजाय दीगर पक्षकार ने पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अपील मीमों में उठाये गए बिंदुओं के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसके संलग्न दस्तावेजों का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

अवलोकन किया। अपीलांट के कथनों के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं है, जिसमें रेस्पोडेंट के पिता/पति को आवंटित भूमि तथ्यों के दुराव/छिपाव, अपात्रता या छल/कपट/धोखा के आधार पर आवंटित होना पाया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट द्वारा उसके आवेदन अंतर्गत नियम 14(4) में उठाए गए हर बिंदु पर विवेचन करते हुए बाकायदा हर आपति का निराकरण करते हुए निर्णय दिया है। बिना किसी ठोस प्रमाण के इतनी सुदीर्घ अवधि के अवसान पश्चात वक्त आवंटन पात्रता निर्धारण पश्चात किया गया विधि सम्मत आवंटन प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में निरस्त करना कतई न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय/आदेश बाद परीक्षण विधि सम्मत पाया गया है जिसमें किसी प्रकार की दखलदाजी की आवश्यकता नहीं है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर द्वारा प्रकरण संख्या 02/2016 उनवानी ओमप्रकाश बनाम माधाराम में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2018 को यथावत रखा जाता है।

13/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बीरहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/5/19

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner